रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11062020-219884
CG-DL-E-11062020-219884

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 288] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 11, 2020/ज्येष्ठ 21, 1942
No. 288] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 11, 2020/JYAISHTHA 21, 1942

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जून, 2020.

सा.का.नि. 369(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारतीय दूतावास, बैंकाक (अनुसंधान अधिकारी) के भर्ती नियम 1984, को उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें अधिक्रमण से पहले किया गया है या कराने का लोप किया गया है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग के भारतीय दूतावास बैंकाक में अनुसंधान अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमन करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारतीय दूतावास, बैंकाक, अनुसंधान अधिकारी, भर्ती नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर -** पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में यथा विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं आदि -** भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट है।

4. **निरर्हताएं -** वह व्यक्ति -

(क) जिसने, ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने, अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा: परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति -** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति -** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पद की संख्या ।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन पद या अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अनुसंधान अधिकारी ।	1 (2020)* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अनुसचिवीय	स्तर—10 (56100-177500 रु.)	लागू नहीं।	लागू नहीं।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि,यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।	प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी (क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों; या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 (47600-151100 रू.) या समतुल्य में उस पद पर नियुक्ति के पश्चात दो वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) अंतराष्ट्रीय संगठनों या सम्मेलनों को करने का तीन वर्षों का अनुभव रखते हों।	लागू नहीं।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

टिप्पणी 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी *अन्य संवर्ग* बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणत: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पणी 2:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा. सं. 4/5/2016-एस्कैप (पार्ट)]

श्यामल मिश्र, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th June, 2020

G.S.R. 369(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Embassy of India, Bangkok (Research Officer) Recruitment Rules, 1984, except as respects things done or omitted to be done, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Research Officer in the Embassy of India, Bangkok, under the Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce, namely:—

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Ministry of Commerce and Industry, Embassy of India, Bangkok, Research Officer, Recruitment Rules, 2020.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in the pay matrix. -** The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and qualifications etc.-** The method of recruitment, age-limit, qualifications and the other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualifications.-** No person, -

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

   shall be eligible for appointment to the said post:

   Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax. -** Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving. -** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Research Officer.	1 (2020)* * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group “A”, Gazetted, Ministerial.	Level – 10 (Rs.56100-177500).	Not applicable.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By deputation.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission Is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Deputation : Officers under the Central Government: (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with two years’ regular service in posts in the level-8 in the pay matrix (Rs. 47600-151100) or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing three years’ experience of handling work connected with international organisations or conferences. Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or other organisation or department of Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.	Not applicable.	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary.

[F. No. 4/5/2016-ESCAP (Part)]

SHYAMAL MISRA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA Date: 2020.06.11 17:32:48 +05'30'